कार्यालय जिलाधिकारी–श्रावस्ती।

संख्या /आबकारी दुकान/ई–लाटरी/व्यवस्थापन /2019–20/श्रावस्ती:दिनांक फरवरी 09 ,2019

संशोधित विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–42900–42975/ दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20 दिनांकः प्रयागराज जनवरी 11, 2019 के अनुपालन में जनपद श्रावस्ती की नवीनीकरण से अवशेष देशी शराब की **05** , विदेशी मदिरा **07 एवं** बीयर की **09** तथा **भांग** की **15** फुटकर बिकी की दुकानों को आबकारी वर्ष 2019–20 के लिए व्यवस्थित कराने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई है। देशी शराब दुकान के कमांक–5 पर अंकित चौगोई तथां बीयर दुकान के कमांक–3 पर अंकित हरबंशपुर चौराहा पर ई–लाटरी हेतु ई–आवेदन आमंत्रित नही किये जायेगे, इन्हे प्रथत चरण की ई–लाटरी से बाहर किया जाता है। देशी शराब दुकान चौगोई तथा बीयर दुकान हरवंशपुर चौराहा के चलित वर्ष के अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण आवेदन पूर्व मे सुनिश्चित करते हुए दुकान की प्रोविजनल बे0ला0फीस/लाईसेंस फीस जमा किया जा चुका है, किन्तु यह दुकानें दिनांक– 31.01.2019 के अनुसार नवीनीकरण की शर्तो का पूर्णतयः पालन करने में असमर्थ रही है। आयुक्तालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के कम में एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या– 809–12/दिनांक– 08.02.2019 के अन्तर्गत प्रकाशित विज्ञप्ति में इन दो दुकानों को छोड़कर नवीनीकरण से अशेष देशी शराब की **04,** एव बीयर **08** दुकानों तथा विदेशी मदिरा/भांग की पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2019–20 के व्यवस्थापन हेतु संशोधित ई–आवेदन–पत्र सर्वसाधारण से आमंत्रित किये जाते है। इस प्रकार ई–लाटरी से वंचित की जा रही **देशी शराब दुकान–चौगोई एव बीयर दुकान–हरबंशपुर चौराहा** के विषय में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के अंतिम निर्णय के पश्चत व्यवस्थापन अंतिम रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। तद्नुसार विज्ञप्ति संशोधित समझा जाय।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी
श्रावस्ती।

संख्या 816-18/**दिनांक**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. प्रसार प्रबन्धक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने समाचार पत्रो में दिनांक–10.02.2018 के अंक संस्करण में कराते हुए भुगतान से पूर्व बिल की दर का सत्यापन जिला सूचना अधिकारी श्रावस्ती से कराते हुए बिल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद श्रावस्ती की बेवसाइट Shrawasti.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

9/2/2019
(प्रेम सागर)
जिला आबकारी अधिकारी,
श्रावस्ती।

Scanned by CamScanner